दसवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2021 - 2022

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

पायस दूध उत्पादक कम्पनी

मूल्य (Values)

''हम सभी पायस कम्पनी के इन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं।''

1. ईमानदारी एवं पारदर्शिता
2. टीम भावना
3. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हर स्तर पर
4. दीर्घकालीन दृष्टि
5. नवविचार (Innovation)
6. जूनून (Passion)

ध्येय (Mission)

- पायस दूध उत्पादक कम्पनी अपने सदस्यों के दूध उत्पादन की लागत को कम करते हुए, दूध उत्पादन एवं सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (Vision)

- अपने ध्येय-प्रतिबद्धता के साथ, पायस दूध संस्था विश्व की दूध व्यवसाय की अग्रणी संस्थाओं में जानी जायेगी एवं अपने समस्त सदस्यों, उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए पहली पंसद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दसवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/ असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

(31 मार्च 2022 को स्थिति)

श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 07253296)	–	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	(DIN - 07573959)	–	निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 08842062)	–	निदेशक
श्रीमती सुनीता शर्मा	(DIN - 09286071)	–	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	(DIN - 07255050)	–	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	(DIN - 07253278)	–	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	(DIN - 08075740)	–	निदेशक
श्री सुशील कुमार वैष्णव	(DIN - 08527267)	–	निदेशक
श्री लादू लाल	(DIN - 08856442)	–	निदेशक
श्री भागचन्द	(DIN - 09286255)	–	निदेशक
श्री विजय सिंह मीणा	(DIN - 09286327)	–	निदेशक
श्री सौगत मित्रा	(DIN - 00541858)	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	(DIN - 06895219)	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	(DIN - 00142430)	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

उप महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुरूग्राम, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक

मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुरूग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
ऐक्सिस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि.
प्लॉट एनएच–2, प्रथम मंजिल,
नोबल हाइट, सी–1 ब्लॉक, जनकपुरी,
नई दिल्ली–110 058

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91–141–2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों की रिपोर्ट	1–16
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	17–25
3.	वार्षिक लेखा विवरण:	
	(अ) 31 मार्च, 2022 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	26
	(ब) 31 मार्च, 2022 के लिये लाभ–हानि खाता	27
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	28
4.	नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	29–51
5.	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	52–67
6.	उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	68
7.	प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	69–70

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के साथ प्रारम्भ हुआ और अधिक संक्रमण और जनहानि के कारण देश में बहुत भयावय समय का सामना करना पड़ा। सामाजिक/धार्मिक/विवाह समारोह पर प्रतिबंध के कारण डेयरी बाजार भी अत्यन्त रूप से प्रभावित हुआ। जिसके परिणामस्वरूप दूध संकलन और दूध उत्पादों की बिक्री में कमी रही। उक्त प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर भी, कम्पनी ने अपने सदस्यों एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप में निर्वहन करने का हर संभव प्रयास किया।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान कम्पनी ने कुल रू. 1181.97 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रू. 7.47 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2021–2022 में 6.52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसतन दुग्ध का संकलन किया है। कम्पनी ''पायस'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी, गाय का घी, दही, छाछ और पनीर इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही है तथा दुग्ध उत्पादों को उन्नत किस्म का चारा–बीज भी उपलब्ध करवा रही है।

कम्पनी ने मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। अभी तक कम्पनी ने कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म स्थापित कराये है।

पारदर्शिता की दिशा में एक कदम ओर आगे बढाते हुये कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप की सुविधा भी दे रही है। यह ऐप सदस्यों को उनके आपूर्तित दूध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाईल पर एक क्लिक पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,
ह./–
(रतन कुमार सिंह)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते दसवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का भाग XXIA) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रू. करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल आय	1181.97	1162.59
कुल लागत (व्यय सहित)	1171.80	1151.04
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	10.17	11.55
कर हेतु प्रावधान	2.70	2.97
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	7.47	8.59

वित्तीय वर्ष 2021-2022 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के साथ प्रारम्भ हुआ। सम्पूर्ण देश को उच्च संक्रमण और जनहानि के कारण बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों/उपायों के कारण डेयरी क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित रहा। इससे व्यापार में आकस्मिक गिरावट आ गई। इसके परिणामस्वरूप दूध संकलन के साथ-साथ दूध उत्पादों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। उक्त प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, कम्पनी ने सभी हितधारकों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियों को निरन्तर रूप से निर्वहन करने का हर संभव प्रयास किया।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रू. 1181.97 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रू. 1162.59 करोड़ की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के व्यय सहित कुल लागत रू. 1151.04 करोड़ की तुलना में कुल व्यय रू. 1171.80 करोड़ रहे है।

कर के पश्चात लाभ रू. 7.47 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष के कर के पश्चात लाभ रू. 8.59 करोड़ की तुलना में, बाजार की प्रचलित परिस्थितियों के कारण, 13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रू. 7/- प्रति समता अंश की दर से कुल रू. 2.51/- करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 11वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रू. 4.96/- करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

कार्य संचालन (Operations)

कम्पनी 3267 गाँवों में स्थित 3577 दुग्ध संकलन केन्द्रों से दुग्ध संकलन कर रही है। कम्पनी का वित्तीय वर्ष 2020-2021 में दूग्ध संकलन 24.56 करोड़ लीटर की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान 23.10 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। इसमें 4.33 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 158 लाख लीटर व 718 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 189 लाख लीटर व 911 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ब्रिकी आगे बढेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

पुरस्कार और मान्यता (Award and Recognition)

कम्पनी ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये:

- कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर द्वारा प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 के अंतर्गत मार्केटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड दिया गया।
- भारतीय आर्थिक विकास और अनुसंधान संस्था (IEDRA) द्वारा गुणवत्तायुक्त खाद्य उत्पादों के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि अवॉर्ड
- वर्ल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता अवॉर्ड

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुन: ''AA-'' (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण पात्रता पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

वर्ग	विभिन्न श्रेणियां
डबल टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 1L, 6L
टोन्ड मिल्क	500ml, 1L, 6L
फुल क्रिम मिल्क	500ml, 1L, 6L
होमोजनाइज्ड टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में मिक्स मिल्क, गाय का दूध और स्किम मिल्क का विक्रय करती है।

दही

पायस ''दही'' का 85 ग्राम और 180 ग्राम कप में, 180 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो पॉलीपैक में और मटका आकार में 5 किलो प्लास्टिक के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 400 ml के पैक और मसाला छाछ का 200 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 2 लीटर टिन, 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन और 1 लीटर गाय का घी (सिक्का पैक) में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

पनीर

पायस पनीर 200 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों को बढानें की प्रक्रिया कर रही है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2021-2022 के दौरान, कम्पनी ने अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी है, का 37567 मैट्रिक टन का विक्रय किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बिक्री में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि रही।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर

(Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 97 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और 31 मैट्रिक टन राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां की जा रही है। कम्पनी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत नेशनल बीज निगम लि. से प्राप्त चारे के बीज (ज्वार, मक्का और बाजरा) की 14743 छोटी किट का (कुल मात्रा 378 क्विंटल को) किसान सदस्यों को मुफ्त में वितरण किया।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवतायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, जई, मक्खन घास, ज्वार और बाजरा के बीजों आदि का वितरण कर रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 706 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में, विभिन्न प्रकार के चारे की अन्य किस्में जैसे सहजन, चारा चुकंदर आदि की योजना बनाई गई है।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान में, पायस के राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा) में कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म कार्यान्वित है।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं प्रदान की है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में सहायता की है।

कार्यक्षेत्र विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	गाँवों की संख्या	49
2	किसानों की संख्या	267
3	जानवरों की संख्या	566

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (**Artificial Insemination Program**)

नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत, कम्पनी ने प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

कोविड-19 महामारी के बावजूद, पायस कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम निरन्तर जारी रखा है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) परिचालन क्षेत्र में कार्य कर रहे है।

कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 350 MAIT के माध्यम से लगभग 2,93,232 कृत्रिम गर्भाधान किये है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। इसको प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

पिछले वर्ष से चल रही महामारी के कारण, फील्ड गतिविधि पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये, जो फील्ड की गतिविधियों को सीमित करते थे। दुग्ध उत्पादकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुडाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्राम स्तर पर 2895 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10566 सदस्य थे और 228 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2895 सदस्य शामिल थे। संभवतः, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये, वीसीजी और एमआरजी बैठक आयोजित की गई।

नये प्रोड्यूसर निदेशकों की नियुक्ति और संक्षिप्त परिचय करने की दृष्टि से, उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation Programme) आयोजित किये गये। एक्सपोजर विजिट के अन्तर्गत, बोर्ड के सदस्यों ने कृषि उद्यमी कृषक विकास अवॉर्ड-सोलन, हिमाचल प्रदेश में भाग लिया।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, आर.एम. जाँच उपकरण, बी. आर मीटर,

रेमी सेन्टरफ्यूज मशीन, सोडियम विश्लेषक और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रो पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवता के गाय के दुग्ध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रीजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

सम्पूर्ण संचालन तकनीक पर आधारित है। SAP ERP (उद्योग संसाधन योजना) सम्पूर्ण व्यवसाय में प्रारम्भ से अंत तक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

कम्पनी ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट और प्रबंधित सेवाएं को आयोजित करने के लिए एक मजबूत डेटा सेंटर सॉल्यूशन भी स्थापित किया है।

इसके साथ ही, कम्पनी ने निम्नलिखित तकनीकी आधारित सहभागिता (Interventions) की।

- पायस सदस्य मित्र मोबाईल ऐप- यह ऐप सदस्यों के लिए किसी भी समय अपने संरक्षता आंकडों तक पहुंचने के लिए पादर्शिता और पासबुक सुविधा को सक्षम बनाता है।
- सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (GPRS)- यह वास्तविक समय में एम.पी.पी. से सेन्टर सर्वर में दूध डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए कॉल सेंटर- एक व्यवस्थित तरीके से एम.पी.पी. स्तर पर उपकरण की खराबी के निवारण के लिए फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के सहयोग के लिए एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई।
- सदस्यों/सहायकों को तुरन्त SMS/मोबाईल अधिसूचना।
- सदस्यों की शिकायतें/आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर।
- बाजार मांग उत्पादन के लिए टेली बुकिंग सॉफ्टवेयर।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए ईनाफ सॉफ्टवेयर।
- मोबाईल टैबलेट के साथ फील्ड कर्मचारियों को भी सक्षम बनाया गया है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in nature of Business)

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (Material Changes and Commitments)

कम्पनी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नही है, जोकि वित्तीय वर्ष के समापन पर, जिससे कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते है।

अंश पूंजी संरचना/सदस्यता

कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नही किया है, दिनांक 31 मार्च, 2022 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 50 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कम्पनी की अभिदत्त और प्रदत्त अंश पूंजी रु 40.19 करोड़ और

दिनांक 31 मार्च, 2022 को रू. 35.79 करोड़ रूपये थी। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सदस्यों के 862614 समता अंशों को समर्पण/सदस्यता निरस्त करने/धारित अंश पूंजी को लौटाने के कारण निरस्त किया और कम्पनी ने 422909 समता अंश सदस्यों को जारी किये।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नही की है जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियां को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2022 को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 95667 सदस्य दर्शाये गये हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान 23846 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण निरस्त/समर्पित कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2022 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 1843 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है एवं एक सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है तथा 886 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मापदण्ड पूरे नही करने एवं अन्य कारणों से निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 96623 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें, जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में दर्शाये गये 96623 सदस्यों में से 30079 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 8149 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होनें अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तो को पूरा नही किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नही कर सकते है। इसके अतिरिक्त 56553 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तो को पूरा नही किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नही है। शेष, 886 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नही है।

1843 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2022 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और उनमें से एक सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है, वे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लाभांश एवं 11वीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (Transfer to Investor Education and Protection Fund)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार, IEPF प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षक, हस्तांतरित और धनवापसी) नियम, 2016 (''IEPF नियम'') के साथ पढें जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए रू. 12,31,230/- की राशि का सीमित लाभांश जो अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तांतरण की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रहा है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया है।

आगे, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए निरस्त अंश राशि/अतिरिक्त अंश आवेदन राशि जो सदस्यता मापदंड़ को पूरा नहीं करती है, की राशि रू. 24,14,099/- जो रिफंड करने के लिए देय है लेकिन रिफंड के लिए देय राशि की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रही है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में राशि हस्तांतरित कर दिया है।

कम्पनी के पास कोई अंतर्निहित अंश (Underlying Shares) नही है जिसे उपरोक्त उल्लेखित के अनुसार (IEPF) में हस्तांतरित

करने की आवश्यकता है।

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर www.paayasmilk.com उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख ले और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते है।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, आठ बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
50th	27.04.2021	14	12
51st	25.06.2021	14	14
52nd	18.08.2021	13	13
53rd	21.09.2021	14	14
54th	16.11.2021	15	15
55th	17.01.2022	14	13
56th	14.03.2022	14	12
57th	31.03.2022	14	14

हितधारकों से संबंधित समिति (Stakeholders' Relationship Committee)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्कता के अनुसार, कम्पनी के अंशधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंधित समिति का गठन किया गया था। हितधारक संबंधित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:

a) श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा
b) श्री नारायण लाल गुर्जर, सदस्य
c) श्री रतन कुमार सिंह, सदस्य

दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति की एक बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

हितधारक संबंधित समिति की बैठक संख्या	समिति बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1st	31.03.2022	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति (Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नही होते है।

निदेशक (Directors)

श्री सुखपाल जाट और श्री रामचरण जाट, कम्पनी के निदेशक पद से 27 अक्टूबर, 2021 को सेवानिवृत हुये। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतू धन्यवाद देता हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और कम्पनी अधिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती सुनिता शर्मा, श्री भागचन्द और श्री विजय सिंह मीणा को 27 अक्टूबर, 2021 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

डॉ. सी.पी. देवानंद ने विशेषज्ञ निदेशक के पद से दिनांक 10 अगस्त, 2021 को त्याग पत्र दे दिया है।

श्री सौगत मित्रा को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 18 अगस्त, 2021 से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

डॉ. सी.एल. दाधीच, कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के पद से दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को सेवानिवृत हुए।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गो में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सदस्यों द्वारा संरक्षता मापदण्ड पूरे करने के आंकडों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी का संरक्षता योगदान क्रमश: 38%, 32% और 30% था। तद्नुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी-ए में 4 निदेशक, श्रेणी-बी में 4 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 3 निदेशक होती हैं। कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी, कम्पनी की निदेशक, अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने पर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती ममता चौधरी के स्थान पर श्रीमती चन्दा यादव, जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 11वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री सुशील कुमार वैष्णव, कम्पनी के निदेशक, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री सुशील कुमार वैष्णव के स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया, जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 11वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

श्रेणी–सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री जय सिंह राठौड़, कम्पनी के निदेशक, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री जय सिंह राठौड़ के स्थान पर श्री हनुमान चौधरी, जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 11वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अन्तर्गत, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:-

a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

e) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और संरचना या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी नही पाई गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् को कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक के रूप में पुन: नियुक्त किया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा एवं कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करते है।

जमायें (Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान कोई जमायें स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees given and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नही दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण (Particulars of Contracts, Arrangements with related parties)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/ व्यवस्थाएं / लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों के

संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस (Arm's length basis) और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नही किया गया था, जो बडे.पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नही किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3)(h) के साथ पढे जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनीज (CSR) संसोधन नियम 2021 के साथ पढें जाने के अनुसार, कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लिया है और सीएसआर नीति को अपनाया है, जोकि कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/csr-policy पर उपलब्ध है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट के अनुसार कम्पनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund) रू. 21.67 लाख का सीएसआर योगदान दिया है। कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–। में प्रदान की गई है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की पहचान कर समीक्षा की और समय–समय पर ऐसे जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति की कम्पनी निगरानी करती है। कम्पनी ने सभी मुख्य परिचालन के लिए मानक संचालन कार्यो की समीक्षा की और इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

कम्पनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर जोखिम प्रबंधन (Risk Management) नीति कार्यान्वित की है।

सचेतक तंत्र (Vigil Mechanism)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत कम्पनी ने सचेतक तंत्र के लिए नीति अपनाई है, जिसमें कोई भी मुद्दा जो कम्पनी की संहिता के उल्लंघन या उसके विरूद्ध हो, को प्रबंधन जी जानकारी में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों को Whistle Blowing के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सचेतक तंत्र (Whistle Blower Policy) कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/vigil-mech-policy पर उपलब्ध है।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, वर्ष 2012 से कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार, अंकेक्षक फर्म को निरन्तर 5 वर्षो के 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पुन:नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनका कार्यकाल 10 वर्ष पूर्ण होने के कारण कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा के समापन पर समाप्त हो जायेगा।

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के स्थान पर मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी आगामी वार्षिक आम सभा में उनकी नियुक्ति होने पर वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली 12वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में कार्यरत रहेंगे। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस पर स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है कि अगर उनकी नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में होगी और वे नियुक्ति के लिए अयोग्य नही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख (Cost Record)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नही होती है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा (Boards' comment on the Auditors' Report)

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व–व्याख्यात्मक है और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नही है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नही है।

वार्षिक रिटर्न (Annual Return)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट http://www.paayasmilk.com/annual-general-meeting.php पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वर्ष के दौरान, कम्पनी को लैंगिग उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी (Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढे जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

(i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

a) कोई भी कम्पनी ना तो पायस कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।

b) विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नही हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।

c) कम्पनी के विरूद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

d) एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल
ह./–
ममता चौधरी
अध्यक्षा
डी.आई.एन.–07253296

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई 2022

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप–रेखा:

कम्पनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढें जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है:

a) स्वास्थ्य

b) शिक्षा

c) स्वच्छता सुविधाएं

d) पर्यावरण स्थिरता

e) जाति समानता को बढ़ावा देना

f) व्यावसायिक कौशल में सुधार

g) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना

h) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय

i) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान

j) इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान

k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल रखना

2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नही है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यो का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है।				

3. वह वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

कम्पनी की सीएसआर नीति https://www.paayasmilk.com/csr-policy पर उपलब्ध है।

4. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)– लागू नही है

5. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा (रू. में)	वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रू. में)
Nil			

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ: रू. 108,381,681/-

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रू. 21,67,634/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षो का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष– Nil

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाले राशि, यदि कोई हो– Nil

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख–7ग) : रू. 21,67,634/-

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रू. 21,67,634/-	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रू. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति–सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
Nil												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति– सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	पैन इंडिया	पैन इंडिया	पैन इंडिया	रू. 21,67,634/–	हाँ	लागू नही	लागू नही
	योग					रू. 21,67,634/–			

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि: Nil

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नही

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि: रू. 21,67,634/–

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रू. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	रू. 21,67,634/–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रू. 21,67,634/–
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	Nil

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (रू. में)	अंतरण की तारीख	
Nil							

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी (रू. में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण की गई/चालू है
Nil								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति वार ब्यौरा): लागू नही

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख – Nil

(ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि– Nil

(ग) उस कम्पनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि– लागू नही

(घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित) – लागू नही

11. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो – लागू नही

	ह./-	ह./-
	ममता चौधरी	रतन कुमार सिंह
स्थान: जयपुर	अध्यक्षा एवं निदेशक	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
दिनांकः 25 जुलाई, 2022	डी.आई.एन.-07253296	डी.आई.एन.-00142430

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों को कम्पनीज (लेखा मानकों) नियम, 2006 एवं संशोधित (''लेखा मानकों'') के साथ पढे जाने के संदर्भ में, 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते है।

राय (Opinion) के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट

- कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।
- हमारी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नही है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जोकि लेखांकन मानकों एवं आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के

लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत्, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

भौतिकता वितीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है, (i) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन मे मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (ii) एकल (standalone) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि :-

(अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

(स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।

(य) 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2022 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

(र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुलग्नक अ'' को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

(ल) अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में,

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नही होती है।

(व) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:–

i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो – वित्तीय विवरणों के नोट 26 को देखें।

i. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई विलम्ब नही किया गया है।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या में (ऋण ली गई निधि से या अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) कोई राशि अग्रिम या ऋण या निवेश नही किया गया है।

(ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नही किया गया है।

(स) अंकेक्षण की प्रदर्शन की गई प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे सूचना में ऐसा कुछ भी नही आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (e) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण उपरोक्त कथन (अ) और (ब) में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. अधिनियम की लागू होने वाली धारा 123 के अनुसार, पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया है।

जैसाकि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 27 में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की लागू होने वाली धारा 123 के अनुसार है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, इस धारा में वर्णित मुद्दों पर हमने विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W/W100774)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 22087104ANOGPG5192)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''अ''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिंम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2022 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W/W100774)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 22087104ANOGPG5192)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''ब''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

हमें कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और दिये गये स्पष्टीकरण के संदर्भ में और अंकेक्षण के सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच की गई और हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम व्यक्त करते है कि:

(i) अ. (अ) कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

(ब) कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नही पाई गई है।

स . कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के अनुच्छेद (i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

द . वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

य . बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और इनके अधीन बने नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए वर्ष के दौरान या 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या लंबित नही है।

(ii) अ. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर गुड्स–इन ट्रांजिट और तृतीय पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर, इन्वेन्ट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन के कवरेज और प्रक्रिया कम्पनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त है। वर्ष के समापन में तृतीय पक्ष के पास रखे गये स्टॉक के लिए, लिखित पुष्टि प्राप्त की गई है और गुड्स–इन ट्रांजिट के संबध में, स्टॉक वर्ष के समापन में वितरित किया गया। प्रत्येक इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन/लागू होने वाले वैकल्पिक प्रक्रियाओं के निष्पादन को लेखा पुस्तकों के साथ तुलना पर प्रत्येक श्रेणी के स्टॉक की सूची के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक की कोई विसंगतियां नही पाई गई है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष में किसी भी अवधि के दौरान कम्पनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नही की गई है और इसलिए आदेश के अनुच्छेद (ii) (b) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(iii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मो, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षकारों को और ना ही कोई निवेश, कोई गांरटी या प्रतिभूति प्रदान की है और सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (iii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गांरटी या प्रतिभूति प्रदान नही की है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(v) कम्पनी ने किसी भी जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जमा (Deposit) माना जाता है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (v) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(vi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी की गतिविधियों के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक देय के संबंध में:-

अ. निर्विवाद वैधानिक देय राशि जैसे कम्पनी पर लागू वस्तु एवं सेवाकर, भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय को वर्ष के दौरान सभी मामलों में उपयुक्त अधिकरण के पास जमा किया गया है।

31 मार्च, 2022 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नही है, जिससे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

ब. उपरोक्त उपअनुच्छेद (अ) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नही है जो 31 मार्च, 2022 तक विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटीकरण की गई पूर्व में अनभिलिखित आय से संबंधित लेनदेन नही था।

(ix) अ. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में बकाया नहीं की है।

ब. कम्पनी को किसी भी बैंक या वितीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

स. कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के प्रारम्भ में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (ix) (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

द. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्प समयावधि के आधार पर एकत्र की गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नही किया गया है।

य. वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम नहीं है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (ix) (e) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

र. वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम नहीं है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (ix) (f) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(x) अ. कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नही की है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (x) (a) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

ब. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या पूर्ण, आंशिक और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों को कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेन्ट नहीं किया है इसलिए आदेश के अनुच्छेद (x) (b) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xi) अ. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखेबाजी या कम्पनी से कोई धोखेबाजी जानकारी या सूचना नही है।

ब. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केन्द्र सरकार के समक्ष वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की दिनांक तक कोई रिपोर्ट दर्ज नही की है।

स. जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया, कम्पनी को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई सचेतक की शिकायते प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नही है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xiii) कम्पनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 188 की अनुपालना में और संबंधित पक्षकारों के लेनदेन का विवरण का प्रकटीकरण, जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है, वित्तीय विवरणों में किया गया है। कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

(xiv) अ. हमारी राय में कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षक प्रणाली है।

ब. हमने वर्ष के दौरान, अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक की अवधि के लिये कम्पनी को जारी आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट और अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिये आर्थिक चिट्ठे की दिनांक के पश्चात जारी की गई आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुडे.व्यक्तियों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकदी संव्यवहार नही किये हैं अत: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् पंजीकृत होना अपेक्षित नही है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद (xvi) (a), (b) और (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

समूह के अंदर कोई कोर इंवेस्टमेन्ट कम्पनी नहीं है (जोकि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (d) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(xvii) कम्पनी को हमारे अंकेक्षण अवधि के वितीय वर्ष और तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नही हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है।

(xix) वितीय अनुपात, एजिंग और वितीय आस्तियों की प्राप्ति और वितीय देनदारियों के भुगतान की संभावित तारीख के आधार पर, वितीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य सूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारें में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर पूर्वानुमान, हमारे ध्यान में कुछ भी नही आया है, जो हमें विश्वास देते है कि लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख को कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, जो कम्पनी को तुलन पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देयताओं को पूरा करने में सक्षम है, जैसे ही और जब कभी वे तुलनपत्र तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते है। हालांकि, हम व्यक्त करते है कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारें में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे व्यक्त करते है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते है औ ना ही कोई आश्वासन देते है कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब भी देय होगी, कम्पनी द्वारा उन्हें निर्वहन कर दी जायेगी।

(xx) अ. कम्पनी ने कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए आवश्यक राशि पूर्ण रूप से व्यय कर दी है और वर्ष के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसके लिए कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि या अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की अनुपालना में एक विशेष खातें में स्थानांतरण करने की आवश्यकता हो। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद (xx) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

ब. कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत चालू वितीय वर्ष के लिए किसी चालू परियोजना के अनुसार कोई राशि अव्ययित नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद (xx) (b) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W/W100774)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 22087104ANOGPG5192)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''स''

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

(a) विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

(b) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के समापन पर कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड एवं कोई निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

(c) 31 मार्च, 2022 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

(d) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

(e) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(f) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

(g) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त कोई अन्य विषय नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W/W100774)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 22087104ANOGPG5192)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2022 को आर्थिक चिट्ठा

(राशि लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
अ.	**समता एवं दायित्व**			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूंजी	3	3,579.94	4,019.65
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	8,069.87	7,478.72
			11,649.81	11,498.37
	2. आंवटन हेतू लंबित अंश आवेदन राशि		48.20	88.77
	3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	467.89	596.47
	4. गैर-चालू दायित्व			
	(अ) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	1,086.23	1,149.11
			1,086.23	1,149.11
	5. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	8	6,976.42	8,868.13
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	9		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		17.50	64.66
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		4,805.06	5,235.92
	(स) अन्य चालू दायित्व	10	379.84	435.08
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	11	12.39	90.97
			12,191.21	14,694.76
	योग		**25,443.34**	**28,027.48**
ब.	**संपत्तियाँ**			
	1. गैर चालू संपत्तियाँ			
	(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण			
	(i) मूर्त संपत्तियाँ	12अ	1,264.40	1,588.23
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	12ब	-	2.29
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	12स	-	2.48
			1,264.40	1,593.00
	(ब) स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	6	37.23	20.76
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	188.17	146.90
			1,489.80	1,760.66
	2. चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्टॉक	14	751.65	1,033.38
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	15	7,947.30	9,988.56
	(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	16	14,977.52	14,674.75
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	100.70	187.91
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	18	176.37	382.22
			23,953.54	26,266.82
	योग		**25,443.34**	**28,027.48**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

ह./-
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.-08075740

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./-
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(राशि लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	व्यवसाय से आय	19	117,566.00	115,498.81
2.	अन्य आय	20	631.68	760.98
3.	**कुल आय (1+2)**		**118,197.68**	**116,259.79**
4.	**व्यय**			
	(अ) व्यवसायिक माल का क्रय	21	107,932.12	105,896.58
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन	22	281.73	(223.72)
	(स) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	23	1,251.94	1,316.33
	(द) वित्त लागत	24	305.61	544.22
	(य) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	12	261.07	271.24
	(र) अन्य व्यय	25	7,148.35	7,299.57
	कुल व्यय		**117,180.82**	**115,104.22**
5.	**कर पूर्व लाभ (3–4)**		1,016.86	1,155.57
6.	**कर व्यय**			
	(अ) चालू कर		290.00	320.00
	(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा)(Deferred Tax Charge/(Credit)		(16.47)	(11.18)
	(स) पूर्व वर्षो से संबंधित प्रावधान		(3.42)	(11.65)
	शुद्ध कर व्यय		270.11	297.17
7.	**वर्ष का लाभ (5–6)**		**746.75**	**858.40**
8.	**प्रति समता अंश आय:**	32		
	(न्यूनतम मूल्य रू.100/– प्रति शेयर)		**रुपये में**	**रुपये में**
	(अ) मूल		18.84	20.34
	(ब) डायल्यूटेड		18.84	20.34

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।
हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

ह./–
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.–07253296

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	कर से पूर्व लाभ	1,016.86	1,155.57
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत	305.61	538.69
	ब्याज से आय	(520.44)	(630.41)
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	261.07	271.24
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(25.48)	(34.06)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	**1,037.62**	**1,301.03**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	281.73	(223.73)
	व्यापारिक लेनदारियाँ में कमी/(वृद्धि)	2,041.26	6,135.87
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(4.39)	84.52
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	87.21	(59.32)
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (कमी)/वृद्धि	(62.88)	22.57
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/ वृद्धि	(478.02)	(1,670.47)
	प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि	(78.58)	89.79
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/ वृद्धि	(0.73)	(19.09)
	व्यवसाय से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़	**2,823.22**	**5,661.17**
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(323.46)	(490.87)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (अ)	**2,499.76**	**(5,170.30)**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	बैंक शेष में शुद्ध कमी /(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(1,195.04)	(945.29)
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण का क्रय	(62.94)	(34.90)
	प्राप्त ब्याज	726.29	473.02
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री से प्राप्तियाँ	27.37	39.31
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (ब)	**(504.32)**	**(467.86)**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	अंश पूंजी के शोधन हेतु भुगतान	(528.48)	(327.77)
	अंश आवेदन हेतू प्राप्त राशि	48.20	88.77
	प्रतिभूति (Security) प्रीमियम से प्राप्तियां	125.77	190.42
	अल्पकालीन ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(1,891.71)	(113.95)
	लाभांश का भुगतान	(294.27)	(292.45)
	वित्त लागत भुगतान	(347.22)	(588.51)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (स)	**(2,887.71)**	**(1,043.49)**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	**(892.27)**	**3,658.95**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	7,011.37	3,352.42
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**6,119.11**	**7,011.37**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	3,436.25	3,436.84
	जमा खातों में	2,682.86	3,574.53
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	**6,119.11**	**7,011.37**
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	8,858.41	7,663.38
	चिट्ठे के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	**14,977.52**	**14,674.75**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

ह./-
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.-08075740

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./-
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 का भाग XXIA) के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार है:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने और कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम 2013'') के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये है। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कम्पनीज़ अधिनियम, 2013 के अध्याय XIA के तहत् प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होने वाली धारा को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत और प्रोड्यूसर कम्पनियों पर लागू होने वाले नियम जिन्हें प्रोड्यूसर कम्पनी नियम, 2021 के रूप में जाना जाता है, को अधिसूचित किया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियो के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ .एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल है। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते है (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते है तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चो, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

g. संपत्ति, प्लांट और उपकरण (मूर्त/अमूर्त)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से पुन: वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति, प्लांट और उपकरण क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतू चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षति को कम करने के उपरांत दर्शाया गया है। अमूर्त संपत्ति मान्यता प्राप्त है, जहाँ यह संभावना है कि संपत्ति के कारण व्यवसाय को भविष्य के आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को स्थिरता से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की परिशोधन राशि को एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी अस्तित्व के सर्वोतम अनुमान पर आवंटित किया जाता है।

कम्पनी सॉफ्टवेयर लागत का पूंजीकरण करती है जहाँ उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का एक उपयोगी अस्तित्व है। सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के उपयोगी अस्तित्व के अनुमान के आधार लगाया गया है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास/परिशोधन सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य-ह्रास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिल्डिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	5
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रू. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य ह्रास लगाया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतू किये गये है। तैयार माल में ऊपरी खर्चो का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तो का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-ह्रास संबधित संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चो में से घटा दिया जाता हैं।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

गेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खातें में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प-कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

(d) दीर्घ-कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नही थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर–शोषित–मूल्य ह्रास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुऐ भविष्य में प्रर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नही हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

r. प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर कम्पनी प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कम्पनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री का कार्य कर रही है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

s. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतो का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतू समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नही जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोटस में दर्शाया जाता है।

t. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

u. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति		31 मार्च 2021 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि	अंशों की संख्या	राशि
3.	**अंश पूंजी**				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि रू. 100/-	35.80	3,579.94	40.20	4,019.65

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (v) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से सम्बन्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के रू. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

(लाख में)

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 समाप्त वर्ष के लिए	
	अंशों की संख्या	राशि	अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	40.20	4,019.65	41.78	4,177.93
वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	4.23	422.91	4.15	414.99
वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	(8.63)	(862.62)	(5.73)	(573.27)
वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	**35.80**	**3,579.94**	**40.20**	**4,019.65**

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नही है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षो के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये है।

(v) कम्पनी में प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण :

क्र.सं.	प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2022 को स्थिति		31 मार्च 2021 को स्थिति		
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	परिवर्तन प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271.00	0.01	271.00	0.01	0.00
2	बलदेव राम बेरवाल	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
3	भागचन्द***	83.00	0.00	–	–	–
4	भगवान सहाय	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00
5	गीता देवी गुर्जर	39.00	0.00	44.00	0.00	(0.00)
6	जय सिंह राठौड़	33.00	0.00	24.00	0.00	0.00
7	जटा शंकर यादव	34.00	0.00	31.00	0.00	0.00
8	लादू लाल	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
9	माली राम मीणा*	–	–	58.00	0.00	–
10	ममता चौधरी	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00
11	ममता चौधरी–II	56.00	0.00	76.00	0.00	(0.00)
12	नारायण लाल गुर्जर	180.00	0.01	164.00	0.00	0.00
13	रामचरण जाट**	–	–	166.00	0.00	–
14	सेडमल शर्मा	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
15	सुखपाल जाट**	–	–	50.00	0.00	–
16	सुनिता शर्मा***	219.00	0.01	–	–	–
17	सुशील कुमार वैष्णव	117.00	0.00	156.00	0.00	(0.00)
18	विजय सिंह मीणा***	178.00	0.00	–	–	–

* दिनांक 14.03.2022 से सदस्य नहीं हैं।
** दिनांक 27.10.2021 से निदेशक के पद पर नहीं हैं।
*** दिनांक 27.10.2021 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	5,709.60	5,132.57
	जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण मे अधिशेष से अंतरित	496.15	577.03
	अंतिम शेष	6,205.75	5,709.60
	(ब) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	281.37	292.45
	जोड़िये : वर्ष का लाभ	746.75	858.40
	घटाईयें :		
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रू. 7/- प्रति समता अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	281.37	292.45
	सामान्य संचय में अंतरित	496.15	577.03
	अंतिम शेष	250.60	281.37
	(स) प्रतिभूति प्रीमियम		
	प्रारम्भिक शेष	1,487.75	1,297.33
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	211.45	207.50
	घटाईये : वर्ष के दौरान निरस्त किये गये अंशों पर प्रीमियम	85.68	17.08
	अंतिम शेष	1,613.52	1,487.75
		8,069.87	**7,478.72**
5.	**स्थगित अनुदान (Deferred Grant)**		
	प्रारम्भिक शेष	596.47	733.80
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (नोट 12 को देखें)	128.44	137.33
	घटाईये : सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण के पृथक्करण (discard) पर हानि	0.14	-
	अंतिम शेष	**467.89**	**596.47**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
6.	**स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्व**		
	(Deferred tax (Assets)/liability)		
	(अ) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्वों का हिस्सा है :		
	(i) संपत्ति, प्लांट और उपकरण के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	37.23	20.76
		37.23	**20.76**
7.	**अन्य दीर्घकालीन दायित्व**		
	(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	1,086.23	1,149.11
		1,086.23	**1,149.11**
8.	**अल्पकालीन ऋण**		
	(अ) असुरक्षित ऋण		
	(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	6,976.42	8,868.13
		6,976.42	**8,868.13**

नोट:

(i) कम्पनी ने बिल की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के लिए बैंक से बिल डिस्कांउटिंग सुविधा ले रखी है। ब्याज दर, रेपो रेट प्लस 0.20% (पिछले वर्ष रेपो रेट प्लस 3.35%) है।

9.	**व्यावसायिक देनदारियाँ** (स्वीकृतियों के अतिरिक्त)		
	(अ) लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नोट 36 को देखें)	17.50	64.66
	(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	4,805.06	5,235.92
		4,822.56	**5,300.58**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

9.1 दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यावसायिक देनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची:

(राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	17.50	–	–	–	**17.50**
(ii) अन्य	4,729.99	18.67	19.06	37.34	**4,805.06**
(iii) विवादित बकाया–एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	**–**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	–	**–**
योग	**4,747.49**	**18.67**	**19.06**	**37.34**	**4,822.56**

9.2 दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यावसायिक देनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची:

(राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	64.66	–	–	–	**64.66**
(ii) अन्य	5,173.35	24.98	13.02	24.56	**5,235.91**
(iii) विवादित बकाया–एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	**–**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	–	0.01	–	–	**0.01**
योग	**5,238.01**	**24.99**	**13.02**	**24.56**	**5,300.58**

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
10.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	118.91	146.86
	(ब) अर्जित ब्याज परन्तु ऋण पर देय नही	43.92	85.53
	(स) अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लांभाश	40.86	53.76
	(द) वैधानिक प्रेषण	53.44	50.89
	(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	45.80	47.76
	(र) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	76.91	50.28
		379.84	**435.08**
11.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	(अ) अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान (फंड का शुद्ध रू. 316.57 लाख; पिछले वर्ष– रू. 187.88 लाख)	12.39	90.97
		12.39	**90.97**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

12. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

(राशि लाख में)

	विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन पर	31 मार्च 2022 को स्थिति	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के लिये	निष्कासन पर	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
(अ)	मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)										
	बिल्डिंग	37.50	–	–	37.50	21.91	3.02	–	24.93	12.57	15.59
		(72.04)	–	(34.55)	(37.50)	(53.42)	(3.03)	(34.55)	(21.91)	(15.59)	–
	प्लांट एवं उपकरण	4,622.44	46.24	23.00	4,645.68	3,091.64	352.68	21.12	3,423.20	1,222.48	1,530.80
		(4,652.21)	(23.76)	(53.53)	(4,622.44)	(2,751.92)	(388.00)	(48.28)	(3,091.64)	(1,530.80)	–
	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	229.28	2.55	1.50	230.33	217.96	6.00	1.50	222.46	7.87	11.32
		(230.25)	–	(0.98)	(229.28)	(217.68)	(1.26)	(0.98)	(217.96)	(11.32)	–
	ऑफिस उपकरण	66.90	1.29	0.46	67.73	43.43	19.23	0.31	62.35	5.38	23.47
		(66.90)	–	–	(66.90)	(37.20)	(6.22)	–	(43.43)	(23.47)	–
	कम्प्यूटर्स	822.42	15.34	1.62	836.14	815.37	6.29	1.62	820.04	16.10	7.05
		(814.44)	(8.66)	(0.68)	(822.42)	(813.13)	(2.93)	(0.68)	(815.37)	(7.05)	–
	योग (अ)	**5,778.54**	**65.42**	**26.58**	**5,817.38**	**4,190.31**	**387.22**	**24.55**	**4,552.98**	**1,264.40**	**1,588.23**
		(5,835.84)	(32.42)	(89.74)	(5,778.54)	(3,873.35)	(401.44)	(84.49)	(4,190.31)	(1,588.23)	
(ब)	अमूर्त संपत्तियां (स्वयं के अलावा अन्य अर्जित)										
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,360.25	–	–	1,360.25	1,357.96	2.29	–	1,360.25	–	2.29
		(1,360.25)	–	–	(1,360.25)	(1,350.83)	(7.13)	–	(1,357.96)	(2.29)	–
	ट्रेड मार्क	0.90	–	–	0.90	0.90	–	–	0.90	–	–
		(0.90)	–	–	(0.90)	(0.90)	–	–	(0.90)	–	–
	योग (ब)	**1,361.15**	**–**	**–**	**1,361.15**	**1,358.86**	**2.29**	**–**	**1,361.15**	**–**	**2.29**
		(1,361.15)	–	–	(1,361.15)	(1,351.73)	(7.13)	–	(1,358.86)	(2.29)	
(स)	प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य										2.48
	योग (स)	–	–		–	–	–		–	–	**2.48**

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	(राशि लाख में)	(राशि लाख में)

नोट्स :

(i) **मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय**

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाख में)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाख में)
मूर्त संपत्तियों	387.22	401.44
अमूर्त संपत्तियों	2.29	7.13
घटाईए : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	128.44	137.33
	261.07	**271.24**

(ii) कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

(iii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 33 को देखें):– **(राशि लाख में)**

संपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन पर	31 मार्च 2022 को स्थिति	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के लिये	निष्कासन पर	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
मूर्त संपत्तियां :–										
बिल्डिंग	31.90	–	–	31.90	16.31	3.03	–	19.34	12.56	15.59
	(31.90)	–	–	(31.90)	(13.28)	(3.03)	–	(16.31)	(15.59)	–
प्लांट एवं उपकरण	1,690.89	–	0.17	1,690.72	1,131.01	109.89	0.18	1,240.72	450.00	559.88
	(1,692.50)	–	(1.62)	(1,690.89)	(1,002.48)	(128.65)	(0.13)	(1,131.01)	(559.88)	–
ऑफिस उपकरण	48.89	–	0.46	48.43	31.97	14.36	0.31	46.02	2.41	16.92
	(48.89)	–	–	(48.89)	(27.36)	(4.61)	–	(31.97)	(16.92)	–
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	194.04	–	1.50	192.54	189.96	1.16	1.50	189.62	2.92	4.08
	(195.01)	–	(0.98)	(194.04)	(190.48)	(0.46)	(0.98)	(189.96)	(4.08)	–
कम्प्यूटर्स	727.05	–	1.62	725.43	727.05	–	1.62	725.43	–	–
	(727.72)	–	(0.68)	(727.05)	(727.72)	–	0.68	(727.05)	–	–
अमूर्त संपत्तियां :–										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	–	–	1,302.33	1,302.33	–	–	1,302.33	–	–
	(1,302.33)	–	–	(1,302.33)	(1,301.75)	(0.58)	–	(1,302.33)	–	–
योग	**3,995.10**	**–**	**3.75**	**3,991.35**	**3,398.63**	**128.44**	**3.61**	**3,523.46**	**467.89**	**596.47**
	(3,998.35)	**(–)**	**(3.28)**	**(3,995.10)**	**(3,263.07)**	**(137.33)**	**(1.79)**	**(3,398.63)**	**(596.47)**	

(iv) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य परिपक्वन अनुसूची :

विवरण	31 मार्च 2022 को स्थिति				
	अवधि के लिये प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षों	2–3 वर्षों	3 वर्षों से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	–	–	–	–	–

विवरण	31 मार्च 2021 को स्थिति				
	अवधि के लिये प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षों	2–3 वर्षों	3 वर्षों से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	2.48	–	–	–	2.48

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
13.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	9.63	8.50
	(ब) पूर्वदत्त व्यय	3.34	0.08
	(स) अग्रिम आयकर (प्रावधानों का शुद्ध रू. 2653.29 लाख पिछले वर्ष रू. 2363.29 लाख)	175.20	138.32
		188.17	**146.90**
14.	**स्टॉक**		
	(लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) स्टॉक इन ट्रेड	455.84	605.15
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	295.81	428.23
		751.65	**1,033.38**
15.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(अ) देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया- सुरक्षित, उचित माने गये	-	-
	(ब) अन्य		
	(i) सुरक्षित, उचित माने गये	346.73	246.56
	(ii) असुरक्षित, उचित माने गये	7,600.57	9,742.00
		7,947.30	**9,988.56**

15.1 व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ :-						
(i) उचित माने गये	7,947.30	-	-	-	-	7,947.30
(ii) संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-
(ii) विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ :-						
(i) उचित माने गये	-	-	-	-	-	-
(ii) संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-
योग	**7,947.30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,947.30**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ :-						
(i) उचित माने गये	9,988.56	–	–	–	–	9,988.56
(ii) संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–
(ii) विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ :-						
(i) उचित माने गये	–	–	–	–	–	–
(ii) संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–
योग	**9,988.56**	**–**	**–**	**–**	**–**	**9,988.56**

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
16.	**रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	3,436.25	3,436.85
	(ब) जमा खातों में –वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से कम	2,682.86	3,574.53
	रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	**6,119.11**	**7,011.38**
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	5,370.66	7,609.61
	(ii) बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष राशि	3,446.89	-
	(iii) निर्धारित खातों में		
	–अदत्त लाभांश खातें	40.86	53.76
		14,977.52	**14,674.75**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
17.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	0.05	0.11
	(ब) गेच्युटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 191.93 लाख; पिछले वर्ष–रू. 163.88 लाख)	19.69	16.96
	(स) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	7.00	5.40
	(द) पूर्वदत्त व्यय	48.44	52.30
	(य) प्रतिभूति जमा	–	84.74
	(र) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	25.52	28.40
		100.70	**187.91**
18.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	176.37	382.22
		176.37	**382.22**

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
19.	**व्यवसाय से आय**		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	129,410.77	124,404.32
	(ii) घटाईये : पुन: क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (निर्दिष्ट नोट संख्या (i) देखें)	11,844.77	8,905.51
	(iii) शुद्ध विक्रय	**117,566.00**	**115,498.81**

नोट: (i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुन: क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।

		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	विक्रय किये गये उत्पाद		
	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	96,042.56	99,461.40
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	7,859.82	6,487.47
	(स) अन्य दूध उत्पादक	1,217,96	336.96
	(द) घी	3,497.50	2,592.88
	(य) पशु आहार	8,777.22	6,483.98
	(र) सीमेन	170.94	136.12
	कुल	**117,566.00**	**115,498.81**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
20.	**अन्य आय**		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	520.44	630.41
	(ii) आयकर रिफण्ड पर	–	11.64
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	5.82	4.52
	(ii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	25.34	34.06
	(iii) अवशिष्ट विक्रय	14.71	40.94
	(iv) विविध आय	65.37	39.41
		631.68	**760.98**
21.	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	87,378.51	90,746.49
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	7,262.26	5,605.33
	(स) घी	3,418.92	2,740.17
	(द) पशु आहार	8,423.21	6,335.40
	(य) अन्य दूध उत्पादक	1,307.40	279.68
	(र) सीमेन	141.82	189.51
		107,932.12	**105,896.58**
22.	**स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन**		
	स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में कमी/(वृद्धि)		
	(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	605.15	426.71
	स्टॉक इन ट्रांजिट	428.23	382.95
		1,033.38	**809.66**
	(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	455.84	605.15
	स्टॉक इन ट्रांजिट	295.81	428.23
		751.65	1,033.38
	स्टॉक में शुद्ध कमी / (वृद्धि)	**281.73**	**(223.72)**
23.	**कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन एवं मजदूरी	1,124.38	1,200.72
	(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	106.21	77.08
	(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	21.35	38.53
		1,251.94	**1,316.33**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.		विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
24.		**वित्त लागत**		
	(a)	ऋण पर ब्याज व्यय	305.61	538.69
	(b)	वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	–	5.53
			305.61	**544.22**
25.		**अन्य व्यय**		
	(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	95.95	196.55
	(b)	पॉवर एवं फ्यूल	20.47	20.52
	(c)	किराया	90.28	74.77
	(d)	मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	90.99	85.10
	(e)	मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	326.44	385.80
	(f)	मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	10.78	6.21
	(g)	विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	208.73	205.33
	(h)	भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	4,709.91	4,723.99
	(i)	बीमा भार	76.99	70.54
	(j)	विधिक एवं पेशेवर शुल्क	246.63	238.19
	(k)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	22.21	20.92
	(l)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	133.89	114.04
	(m)	संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	808.72	821.12
	(n)	संप्रेषण व्यय	147.21	166.74
	(o)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नीचे दिया गया नोट (ii) देखें)	21.68	27.35
	(p)	विविध व्यय	137.47	142.40
			7,148.35	**7,299.57**
नोट:				
(i)		**अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है :**		
	(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	15.70	14.92
	(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	2.50	2.33
	(c)	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.62	0.48
	(d)	उपरोक्त पर कर	3.39	3.19
			22.21	**20.92**
(ii)		**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण**		
	1.	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	21.68	27.35
	2.	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
		i) किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		
		ii) उपरोक्त (i)के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	21.68	27.35
	3.	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि	–	–
	4.	अनुवर्ती वित्तीय वर्षो के लिए उपलब्ध समायोजन	–	–
	5.	CSR गतिविधियों की प्रकृति	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि लाख में)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
26.	**आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धतायें**		
	अ. आकस्मिक दायित्व		
	(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया		
	(i) मुकदमों के अंतर्गत कर्मचारी दावें	14.01	14.01

27. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 25 जुलाई, 2022 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 250.60 लाख (रू. 7 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में शामिल नही किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है।

28. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रू. 48.19 लाख की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 25 मई, 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंवटन कर दिया गया है।

29. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर कर्मचारी और कम्पनी दोनों ही योगदान का भुगतान करते है।

कम्पनी ने रू. 76.54 लाख (पिछले वर्ष रू. 74.10 लाख) की राशि को लाभ–हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षो तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(राशि लाख में)

		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
i.	**निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	163.88	154.87
	ब्याज लागत	10.58	10.30
	चालू सेवा लागत	27.52	26.26
	लाभ का भुगतान	(14.65)	(5.02)
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.60	(22.53)
	वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**191.93**	**163.88**
ii.	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के प्रारम्भ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	180.84	153.69
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	12.47	12.11
	योगदान	29.56	24.68
	लाभ का भुगतान	(11.81)	(8.59)
	योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.56	(1.05)
	वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	**211.62**	**180.84**
iii.	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	12.47	12.11
	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.56	(1.05)
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	**13.03**	**11.06**
iv.	**चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	191.93	163.88
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	211.62	180.84
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	**(19.69)**	**(16.96)**
v.	**लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	27.52	26.26
	ब्याज व्यय	10.58	10.30
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(12.47)	(12.11)
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	4.04	(21.48)
	लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	**29.67**	**2.97**
vi.	**चिट्ठे का मिलान**		
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	(16.96)	1.18
	उपरोक्तानुसार व्यय	29.67	2.97
	योगदान	(29.56)	(24.68)
	कम्पनी द्वारा सीधे भुगतान किये गये लाभ	(2.84)	3.57
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियाँ)	**(19.69)**	**(16.96)**

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अर्न्तगत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में सूचना सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चो हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्वता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चो की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii. **मुख्य बीमांकिक अनुमान**	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
बट्टे की दर	7.24% वार्षिक	6.76% वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	8.00% वार्षिक	8.00% वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.02% वार्षिक	7.49% वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
आयु 44 और इससे अधिक	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
Mortality table used	(2012-14)	(2012-14)
	(अन्तिम)	(अन्तिम)

योजना सम्पत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर कई लागू कारक, जैसे कि योजना सम्पत्तियों की संरचना, निवेश योजना, बाजार परिदृश्य आदि, पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धत्ताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. अनुभव समायोजन

	31 मार्च 2022 (लाख में)	**31 मार्च 2021 (लाख में)**	**31 मार्च 2020 (लाख में)**	**31 मार्च 2019 (लाख में)**	**31 मार्च 2018 (लाख में)**
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	191.93	163.88	154.87	110.46	78.55
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	211.62	180.84	153.69	125.20	83.21
पोषित स्थिति	(19.69)	(16.96)	1.18	(14.74)	(4.65)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(4.60)	22.53	(9.48)	(6.42)	3.36
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	0.56	(1.05)	(1.27)	(1.35)	(0.74)

नोट सं. 30. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का प्रभाव

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') कर्मचारी के रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद लाभ से संबंधित है, जिसे सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, हालाँकि, संहिता लागू होने की तिथि को अभी अधिसूचित किया जाना शेष है। कम्पनी, संहिता एवं नियमों को अधिसूचित किये जाने पर, प्रभाव का आंकलन करेगी और संहिता और नियमों के प्रभावी होने पर उस अवधि में इससे सम्बन्धित प्रभाव को लेखांकित करेगी।

नोट सं. 31. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज़ व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज़ किराया संबंधी रू. 39.41 लाख (पिछले वर्ष रू. 36.77 लाख) के खर्चो को लाभ–हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 4 वर्ष तथा 11 माह के लिए की गई है जो 3 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज़ के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर कार्यालय की लीज़ 6 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

(राशि लाख में)

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नही	40.11	39.41
एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नही	75.46	115.57
	115.57	**154.98**

नोट सं. 32. प्रति समता अंश आय

विशिष्टियाँ	ईकाई	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष पर
कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये लाख में	746.75	858.40
वर्ष के दौरान भारित औसत अदत्त समता अंशों की संख्या	संख्या लाख में	39.63	42.19
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	100.00	100.00
प्रति अंश मूल आय	रूपये	18.84	20.34
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या लाख में	39.63	42.19
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	18.84	20.34

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट सं. 33. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष पर
	नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ)	प्रारंभिक शेष	-	1.39
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	0.03
		-	1.42
(स)	वर्ष के दौरान उपयोग		
	(i) आयगत व्यय के लिये	-	-
(द)	वर्ष के दौरान वापसी	-	1.42
(य)	शेष को आगे ले गये(अ+ब-स)	-	-

नोट: पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है। (देखें नोट 2k)

नोट सं. 34. वर्ष 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च 2021 के लिए अनुपात निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	अनुपात	गणना का आधार	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	परिवर्तन
1	चालू अनुपात (गुणा)	चालू संपत्तियों/चालू दायित्व	1.96	1.79	9.50
2	ऋण समता अनुपात (गुणा)	कुल ऋण (1)/अंशधारकों के अंश	0.6	0.77	(22.08)
3	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात (गुणा)	ऋण सेवा (2) के लिए उपलब्ध आय/ऋण सेवा(3)	0.23	0.22	4.55
4	अंशों पर प्रत्याय अनुपात (प्रतिशत)	कर के पश्चात शुद्ध लाभ/औसत अंशधारकों के अंश (4)	0.06	0.08	(25.00)
5	स्टॉक आवर्त अनुपात (गुणा)	व्यवसाय से आय/औसत स्टॉक (5)	131.72	125.34	5.09
6	व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात (गुणा) (नीचे दिये गये नोट अ को देखें)	व्यवसाय से आय/औसत व्यावसायिक लेनदारियां (6)	13.11	8.85	48.14
7	व्यापारिक देय आवर्त अनुपात (गुणा)	कच्चे माल और व्यावसायिक माल का क्रय /औसत व्यावसायिक देनदारियां (7)	21.32	17.26	23.52
8	निवल पूंजी आवर्त अनुपात (गुणा)	व्यवसाय से आय/औसत कार्यशील पूंजी (9)	10.08	10.35	(2.61)
9	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत)	कर के पश्चात लाभ/व्यवसाय से आय	0.64	0.74	(0.10)
10	नियोजित पूंजी प्रत्याय (प्रतिशत)	EBIT (10)/नियोजित पूंजी (11)	6.79	8.43	(1.64)
11	निवेश पर प्रत्याय (प्रतिशत)	लाभांश आय/औसत निवेश	NA	NA	-

व्याख्या:

1. कुल ऋण = अल्पकालीन ऋण
2. ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (EBITDA) = कर के पूर्व लाभ + मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय + वित लागत
3. ऋण सेवा = वित लागत
4. औसत अंशधारकों के अंश = (अंशधारकों के प्रारम्भिक फंड + अंशधारकों के अंतिम फंड)/2
5. औसत स्टॉक = (प्रारम्भिक स्टॉक + अंतिम स्टॉक)/2
6. औसत व्यावसायिक लेनदारियां = (प्रारम्भिक व्यावसायिक लेनदारियां + अंतिम व्यावसायिक लेनदारियां)/2
7. औसत व्यावसायिक देनदारियां = (प्रारम्भिक व्यावसायिक देनदारियां + अंतिम व्यावसायिक देनदारियां)/2
8. कार्यशील पूंजी = चालू संपत्तियों–चालू दायित्व
9. औसत कार्यशील पूंजी = (प्रारम्भिक कार्यशील पूंजी + अंतिम कार्यशील पूंजी)/2
10. ब्याज और कर से पूर्व की आय (EBIT) = कर के पूर्व लाभ + वित लागत
11. पूंजी नियोजित = अंशधारकों के अंश + कुल ऋण ± स्थगित कर दायित्व/संपत्ति
12. कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है। अत: यह अनुपात लागू नहीं होता है।

नोट्स

अ. चालू वर्ष के दौरान, व्यवसाय से आय में रू. 2,067.19 लाख की वृद्धि हुई है और औसत व्यावसायिक लेनदारियों में रू. 4,088.57 लाख की कमी हुई है। इससे अनुपात के परिणाम में सुधार हुआ है।

नोट सं. 35. लेखा–मानक AS–18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' (Related Party Disclosures) का विवरण निम्न प्रकार है:–

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पीं)	रतन कुमार सिंह

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:–

(राशि लाख में)

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक:–		
रतन कुमार सिंह	69.32	69.32
	(63.27)	(63.27)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

36. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(i)	लेखांकन वर्ष के समापन पर किसी भी आपूर्तिकर्ता की अदत्त मूल राशि	17.50	64.66
(ii)	लेखांकन वर्ष के समापन पर किसी भी आपूर्तिकर्ता के बकाया अदत्त राशि पर ब्याज	–	–
(iii)	नियुक्ति की दिनांक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि	–	–
(iv)	वर्ष के लिए देय और भुगतान के योग्य ब्याज की राशि	–	–
(v)	अर्जित ब्याज की राशि और लेखाकंन वर्ष के समापन पर अदत्त	–	–
(vi)	पूर्ववर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि ऐसी दिनांक तक जब तक कि देय ब्याज की राशि का वास्तव में भुगतान नही किया जाता है।	–	–

प्रबंधन द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी उद्योगों को देय राशि का निर्धारण किया गया है। लेखा परीक्षक द्वारा इसी पर विश्वास किया गया है।

37. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबन्धित है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत्त है। चूंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS–17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

38. कम्पनी ने (उधार ली गई राशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार की निधि से) किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं और विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान या ऋण या निवेश इस समझ के साथ नहीं किया है कि मध्यस्थ द्वारा कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा पहचान की गई पार्टियों को उधार देगा या में निवेश करेगा। कम्पनी ने किसी भी पार्टी (फंडिग पार्टी) से इस समझ के साथ फंड प्राप्त नही किया है कि कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा पहचान किये गये व्यक्तियों या संस्थाओं को कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति इत्यादि प्रदान करेगी।

39. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुन:वर्गीकृत / पुन: एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.–07253296

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को प्रात: 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 पर निम्न कार्यो के लिये होगी:-

1. **31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्‌ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-**

   ''दिनांक 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्‌ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 3579944 समता अंशो पर रू. 2,50,59,608/- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-07253296), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-07253296), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्रीमती चन्दा यादव (डी.आई.एन.-09684561), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

4. **श्री सुशील कुमार वैष्णव (डी.आई.एन.-08527267), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर

लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री सुशील कुमार वैष्णव (डी.आई.एन.-08527267), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया (डी.आई.एन.-09684777), जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

5. श्री जय सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.-07253278), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री जय सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.-07253278), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895), जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA (4) (e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

7. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

''1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

8. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:-

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो और कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेदों में जहाँ तक संभव हो सके निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

1. वर्तमान अनुच्छेद 4.3 iii को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये:

   iii. कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने के योग्य नही है उसे सदस्य के रूप में हटाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कम्पनी द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से,

बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या उससे अधिक पात्रता मापदंड़ों में छूट प्रदान कर सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर जवाब देना होगा। ऐसे नोटिस निम्न माध्यम से भेजे जायेंगे:

(a) सदस्य को उसके पिछले ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा और भेजने के पांच दिन बाद उसे प्राप्त हुआ माना जाएगा या

(b) सदस्य को कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड उसकी ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा और सदस्य को ईमेल भेजने के दिन ही प्राप्त हुआ माना जायेगा।

तत्पश्चात्, बोर्ड इस संबंध में अपना निर्णय लेगा।

2. वर्तमान अनुच्छेद 9.13 को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये:

9.13(i) मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम डायरेक्टरों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिस में एक निर्वाचित डायरेक्टर और एक विशेषज्ञ डारेक्टर की उपस्थिति सहित कम से कम तीन की मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स में कोई विशेषज्ञ डायरेक्टर न हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ डायरेक्टर की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

9.13(ii) यदि कोरम के अभाव में, बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है तो बैठक को कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनांक, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जायेगा। हालांकि, अध्यक्ष द्वारा स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों की अवधि के अंदर बुलाई जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

स्थान : जयपुर
अनूप गुप्ता
दिनांक : 25 जुलाई, 2022
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

टिप्पणी: –

1. **कम्पनी प्रबंधन को प्रशासन द्वारा COVID-19 संबंधित जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना है। इसलिए, कम्पनी के सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से वार्षिक आम सभा (AGM) में भाग लेना चाहते है, वह सामाजिक दूरी के मापदंड और COVID-19 से संबंधित अन्य सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे।**

2. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।**

3. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तो को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।

5. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2021-22), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 95667 सदस्य दर्शाये गये है, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2021-22 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(a) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, ''श्रेणी ए'' के 3249 सदस्य, ''श्रेणी बी'' के 6983 सदस्य और ''श्रेणी सी'' के 19847 सदस्य (कुल 30079 सदस्य) जिन्होने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तो के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तो को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 8 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होगें।

(**नोट**-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (''श्रेणी ए'' अथवा ''श्रेणी बी'' अथवा ''श्रेणी सी'') के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।

(b) 8149 सदस्य जिन्होनें कम्पनी की आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होनें गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होनें अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तो को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होनें कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तो को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4 एवं 5) पर वोट नहीं कर सकते है परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7 और 8 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते है।

(c) कुल 56553 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नही है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र है।

(d) कुल 886 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नही है। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होगें।

(e) दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 1843 नये सदस्य सम्मिलित किये गये है और उनमें से एक सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लाभांश के पात्र नही होगें एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नही है।

(f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

6. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-

   (i) निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित विवरण।

   (ii) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न हुई दसवीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   (iii) 31 मार्च, 2022 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।

   (iv) वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट ।

7. मद संख्या 8 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

8. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रात: 11:00 से सांय: 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

9. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

10. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई दसवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।

11. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करे।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

14. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

15. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षो की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नही करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते है। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते है।

16. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

18. आमसभा की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर उपलब्ध है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/पुन:नियुक्ति चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 5

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती चन्दा यादव (डी.आई.एन.-09684561, जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है), श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया (डी.आई.एन.-09684777, जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है) और श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895, जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते है) को कम्पनी के निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

	श्रीमती चन्दा यादव	**श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया**	**श्री हनुमान चौधरी**
उम्र :	29	43	27
शैक्षिक योग्यता :	कला में स्नाकोत्तर (एम.ए.)	कला में स्नाकोत्तर (एम.ए.), बी.एड	कला में स्नातक (बी.ए.)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन में 11 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 25 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 9 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति के नियम व शर्ते :	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति :	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया की संख्या :	-	-	-
धारित अंशों की संख्या :	136	77	53
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	संबंधित नही	संबंधित नही	संबंधित नही
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2022 में दी गई मद संख्या 8 से संबंधित)

मद संख्या : 8

कम्पनी के अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेद, जोकि सदस्य की सदस्यता को जारी रखने एवं निरस्त करने और कम्पनी की स्थगित बोर्ड बैठक को आयोजित करने से संबंधित है, में अधिक स्पष्टता एवं सुविधाजनक करना, व्यापक रूप से समझने एवं व्यवस्थापित करने के लिए कम्पनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन/संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए निदेशक मंडल कम्पनी के अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेद संख्या 4.3 (iii) और 9.13 को संशोधित करने को प्रस्तावित करता है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के कुछ प्रावधानों में प्रस्तावित विस्तृत परिवर्तन/संशोधन की अनुशंसा बोर्ड द्वारा की जाती है।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रात: 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 08 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 जुलाई, 2022

पंजीकृत कार्यालय:
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN: U01211RJ2012PTC038955)
डी-232, 233, चौथी मंजिल,
अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,
जयपुर-302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. +91-141-2352736
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: होटल महल रजवाड़ा रिसोर्ट, निकट वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर, जयपुर–302021 राजस्थान में सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को प्रात: 09.30 बजे को आयोजित हुई जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	श्रीमती ममता चौधरी	–	अध्यक्षा, अध्यक्षा (हितधारक संबंधित समिति) एवं अंशधारक
2.	श्री सेडमल शर्मा	–	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री जय सिंह राठौड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री सुखपाल जाट	–	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री नारायण लाल गुर्जर	–	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री रामचरण जाट	–	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री सुशील कुमार वैष्णव	–	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती ममता चौधरी	–	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री लादू लाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
11.	श्री अनूप गुप्ता	–	कम्पनी सचिव

(a) श्रीमती ममता चौधरी ने प्रात: 09:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।

(b) तत्पश्चात, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 4196 अंश वाले 29 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 2,84,994 अंश वाले 4276 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढे जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27696 सदस्य है।

(c) अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27696 सदस्य, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, उपस्थित नही थे। तत्पश्चात, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, अध्यक्षा ने अधिक सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए आधा घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

(d) श्रीमती ममता चौधरी ने प्रात: 10:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।

(e) तत्पश्चात, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 4196 अंश वाले 29 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 2,84,994 अंश वाले 4276 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढे जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27696 सदस्य है।

(f) अध्यक्षा ने यह अवलोकन किया कि कोरम अभी भी पूर्ण नही है और यह घोषित किया गया कि कम्पनी के सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार स्थगित किया जाता है और अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के पश्चात आज के दिन और इसी स्थान पर पुन: एकत्रित होंगे।

(g) उपस्थित सदस्य बैठक के स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पुन: एकत्रित हुए। श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा ने बैठक की अध्यक्षता की। कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 4196 अंश वाले 29 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 2,84,994 अंश वाले 4276 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे।

अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभी भी पूर्ण नही थी। तत्पश्चात, अध्यक्षा ने कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, आधा घंटा तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

(h) अध्यक्षा ने दोपहर 1 बजे, कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात, यह घोषणा कि कि 4196 अंश वाले 29 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 2,84,994 अंश वाले 4276 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, बैठक के लिए कोरम के रूप में माना जाएगा। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

(i) अध्यक्षा ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि श्री सौगत मित्रा, श्री श्रीराम सिंह, डॉ. सी.एल. दाधीच और श्रीमती गीता देवी गुर्जर, निदेशक बैठक में उपस्थित नही हो सके। अध्यक्षा ने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा अंकेक्षकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और कम्पनी से अनुपस्थिति की अनुमति की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(j) अध्यक्षा महोदय ने दसवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

(k) उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से दसवीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(l) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।

(m) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।

1. 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:–

1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर अंकेक्षकों रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात, सदस्यों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार–विमर्श किया।

1.2 श्री विजय शर्मा (फोलियो संख्या: 132695) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 1/2021–2022–दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''दिनांक 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री मुकेश (फोलियो संख्या: 213704) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

2.1 श्रीमती प्रभू देवी (फोलियो संख्या: 180198) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 2/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 40,19,649 समता अंशो पर रू. 2,81,37,543/- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्रीमती सीमा देवी (फोलियो संख्या: 180196) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

3.1 श्री प्रताप सिंह (फोलियो संख्या: 100432) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्रीमती रेणू कंवर (फोलियो संख्या: 179172) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री सुखपाल जाट (डी.आई.एन.-06362918), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

4.1 श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत (फोलियो संख्या: 70872) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या

समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री सुखपाल जाट (डी.आई.एन.-06362918), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्री महेन्द्र कुमार यादव (फोलियो संख्या: 168380) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्री रामचरण जाट (डी.आई.एन.-08193547), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

5.1 श्रीमती सुनिता शर्मा (फोलियो संख्या: 97609) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री रामचरण जाट (डी.आई.एन.-08193547), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन.-09286327), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्रीमती पूजा कंवर (फोलियो संख्या: 179173) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुन: नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

6.1 श्रीमती मीरा (फोलियो संख्या: 191750) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को पारिश्रमिक रूपये 15,70,000 (अक्षरे पन्द्रह लाख सत्तर हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है।''

श्रीमती रामप्यारी (फोलियो संख्या: 180195) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

7.1 श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा (फोलियो संख्या: 109283) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 7/2021–2022–दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री नवलकिशोर (फोलियो संख्या: 24847) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.–09286071), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

8.1 श्रीमती लक्ष्मा देवी (फोलियो संख्या: 97598) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 8/2021–2022–दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.–09286071) जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्रीमती कुंदन कंवर (फोलियो संख्या: 97920) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कम्पनी के बहिर्नियम के उद्देश्य अनुच्छेद में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:–

9.1 श्री कैलाश चन्द यादव (फोलियो संख्या: 25493) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 9/2021–2022–दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों तथा धारा 13 और कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अन्तर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार और अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, यदि कोई हो, अंशधारकों की सहमति से कम्पनी के बहिर्नियम के वर्तमान अनुच्छेद III A को निम्नलिखित नये अनुच्छेद 5 को जोड़कर और वर्तमान अनुच्छेद 5 को नए अनुच्छेद 6 के रूप में पुनर्सख्यांकित कर संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

''5. सदस्यों (मुख्यत:) और अन्य लोगों से प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की खरीद, उत्पादन, प्रोसेसिंग, बिक्री, व्यवसाय, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना ,जिसमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, फल और सब्जियां सम्मिलित है, लेकिन इन्ही तक सीमित नही है, का विपणन करना, और उन कार्यकलापों में व्यवहार करना जो प्राथमिक उत्पादन से संबंधित किसी गतिविधि का भाग हैं या उसके लिए प्रासंगिक है।''

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

श्री गजानन्द शर्मा (फोलियो संख्या: 206856) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:-

10.1 श्री ओमप्रकाश यादव (फोलियो संख्या: 115732) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 10/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR, तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार अंशधारकों की सहमति से कम्पनी के अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

अनुच्छेद 1.2, 1.3(i), 1.3(ii), 2.1(i), 2.1(vii), 2.1(ix), 2.1(xiii), 9.17, 9.18(ii) (k), 19.1 को नियमानुसार और जहाँ तक प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 2.1(viii), के बाद नया अनुच्छेद 2.1(viiia) सम्मिलित करने और अनुच्छेद 11.12(iii) को हटाने और नया अनुच्छेद 11.13 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:

अनुच्छेद 1.2:- अधिनियम की अनुसूची I में लिखित विनियम 45 से 47 को छोड़कर, तालिका 'F' में निहित कोई भी विनियम, कम्पनी पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 1.3(i):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A (*l*) के अनुसार कम्पनी एक उत्पादक कम्पनी हैं।

अनुच्छेद 1.3(ii):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C(5) के अर्थ में कम्पनी को एक निजी कम्पनी माना जाता है और तदनुसार:

a. निम्न प्रकार से कम्पनी अपने अंशो के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं: तथा

b. कम्पनी के अंशो अथवा ऋण पत्रों के आवेदन हेतु जन आमंत्रण प्रतिबंधित हैं।

अनुच्छेद 2.1. (i):- 'अधिनियम' का अर्थ है, कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) या समय-समय पर लागू होने वाले कोई भी वैधानिक संशोधन या पुर्न अध्यादेश है।

अनुच्छेद 2.1.(vii):- 'कम्पनी' का अर्थ है पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1.(viiia):-'विशेषज्ञ निदेशक' का अर्थ है अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है।

अनुच्छेद 2.1.(ix):- ''वित्तीय वर्ष' का अर्थ है, प्रत्येक वर्ष मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से है, जिसके संबंध में कम्पनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1.(xiii):- 'पारस्परिक सहायता के सिद्धांत' का अर्थ है, अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धान्त, और जैसाकि अनुच्छेद 3 में प्रदान किए गए है।

अनुच्छेद 9.17:- अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल, बोर्ड और उसकी समितियों में भाग लेने के लिए, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, निदेशकों द्वारा यात्रा एवं होटल व्यय सहित शुल्क तथा भत्तों के पात्र होंगे।

अनुच्छेद 9.18(ii)(k):- अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के नियमों के अनुसार नोमिनेशन कमेटी का गठन करना, आम सभा व इन अनुच्छेदों के अनुसार स्वीकृत परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड के पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की जाँच करना, और तद्नुसार बोर्ड के विचार हेतु पात्र सदस्यों का नाम सुझाना। इस पर बोर्ड, बोर्ड सभाओं में पर्याप्त विचार करने के पश्चात, वार्षिक आमसभा में सदस्यों के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने हेतु बोर्ड के पदों के लिए सदस्यों का नाम सुझायेगा।

अनुच्छेद 11.13:- आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नही होंगे।

अनुच्छेद 19.1:- बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करेगा, कम्पनी के (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों 2014 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को दिये गए पिछले अधिकार के द्वारा या बोर्ड द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत समिति के अलावा मुहर किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी, बोर्ड ऐसे व्यक्ति(यों) को नियुक्त कर सकता है जो प्रत्येक उस दस्तावेज पर कानून के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करें जिन पर उनकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

श्री घीसा लाल (फोलियो संख्या: 2852) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. कम्पनी की पाँचवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2016-17 के आंशिक संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

11.1 श्री विजय शर्मा (फोलियो संख्या: 132695) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 11/2021-2022-दसवीं वार्षिक आम सभा/27.10.2021

''यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11/2016-2017 दिनांक 19.09.2016 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागु होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों,

अनुमतियों, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, निदेशक मंडल को कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय तथा कम्पनी द्वारा जारी अंशों के समर्पण, उचित मुल्याकंन पद्धति के आधार पर निर्धारित प्रीमियम के साथ स्वीकार करने तथा ऐसे कोई नियम एवं शर्ते तथा बोर्ड द्वारा, कम्पनी अधिनियम एवं आयकर अधिनियम को सम्मिलित करते हुये लागू होने वाले विधियों, निर्धारित प्रतिफल पर स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अगर कोई सदस्य कम्पनी की सदस्यता के लागू होने वाले, समय-समय पर संशोधनों के साथ, मापदंडों को सदस्यता की तिथि से पाँच वित्तीय वर्षो तक पूरा करता है, अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण तथा अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक क्रय जैसा भी हो वह कम्पनी से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, समर्पण/क्रय के सममूल्य के साथ, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समर्पण/क्रय के लिए निर्धारित किये गये हैं प्रीमियम से अधिक नही होगा तथा उक्त पाँच वित्तीय वर्षो के मानदण्डों को पूरा करने से पूर्व सदस्यों द्वारा समर्पण/क्रय किये गये अंशों पर सदस्यों द्वारा धारित अंशों के सममूल्य के लिए पात्र होंगे तथा निदेशक मण्डल निर्दिष्ट मानदण्डों/शर्तो/परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकानुसार पाँच वित्तीय वर्षो के मानदण्डों को कम या छूट प्रदान कर सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलो में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड़, मामलों और वस्तओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्री प्रताप सिंह (फोलियो संख्या: 100432) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अध्यक्षा ने आम सभा का समापन किया और उपस्थित सभी अंशधारकों को ध्यानपूर्वक सुनने, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया। आम सभा दोपहर 1.40 बजे सम्पन्न हुई।

ह./-
अध्यक्षा

दिनांक : 09.11.2021
स्थान: जयपुर
दिनांक : 09 नवम्बर, 2021 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./-
कम्पनी सचिव द्वारा आद्याक्षर

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2022–2023 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	656,948
व्यापार (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद)	रूपये लाखों में	120,002
अन्य आय	रूपये लाखों में	937
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	105,160
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	15,760
कुल व्यय	रूपये लाखों में	120,920
कर से पूर्व लाभ (अ–ब)	**रूपये लाखों में**	**19**
	% विक्रय पर :	**0.02%**

(ब) पूंजीगत बजट 2022–2023

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	568
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	10
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	127
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	74
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	30
कुल	**रूपये लाखों में**	**809**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

सदस्य कोड :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को प्रात: 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 पर होने वाली 11वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू नही होता है, उसे काट दें।

PAAYAS
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11
प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम : ....

पंजीकृत पता : ....

ईमेल आईडी : ....

फोलियो संख्या : | | | | | | |

मैं/हम .... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशों का सदस्य होते हुये एतद्द्वारा

(1) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः ....

को कम्पनी की सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को प्रात: 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 11वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
2	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना ।			
3	श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-07253296), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर श्रीमती चन्दा यादव (डी.आई.एन.-09684561) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
4	श्री सुशील कुमार वैष्णव (डी.आई.एन.-08527267), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया (डी.आई.एन.-09684777) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
5	श्री जय सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.-07253278), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
6	कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
7	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
8	कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			

दिनांक .... 2022 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-
रेवेन्यू टिकिट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर) (प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

ग्यारहवीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

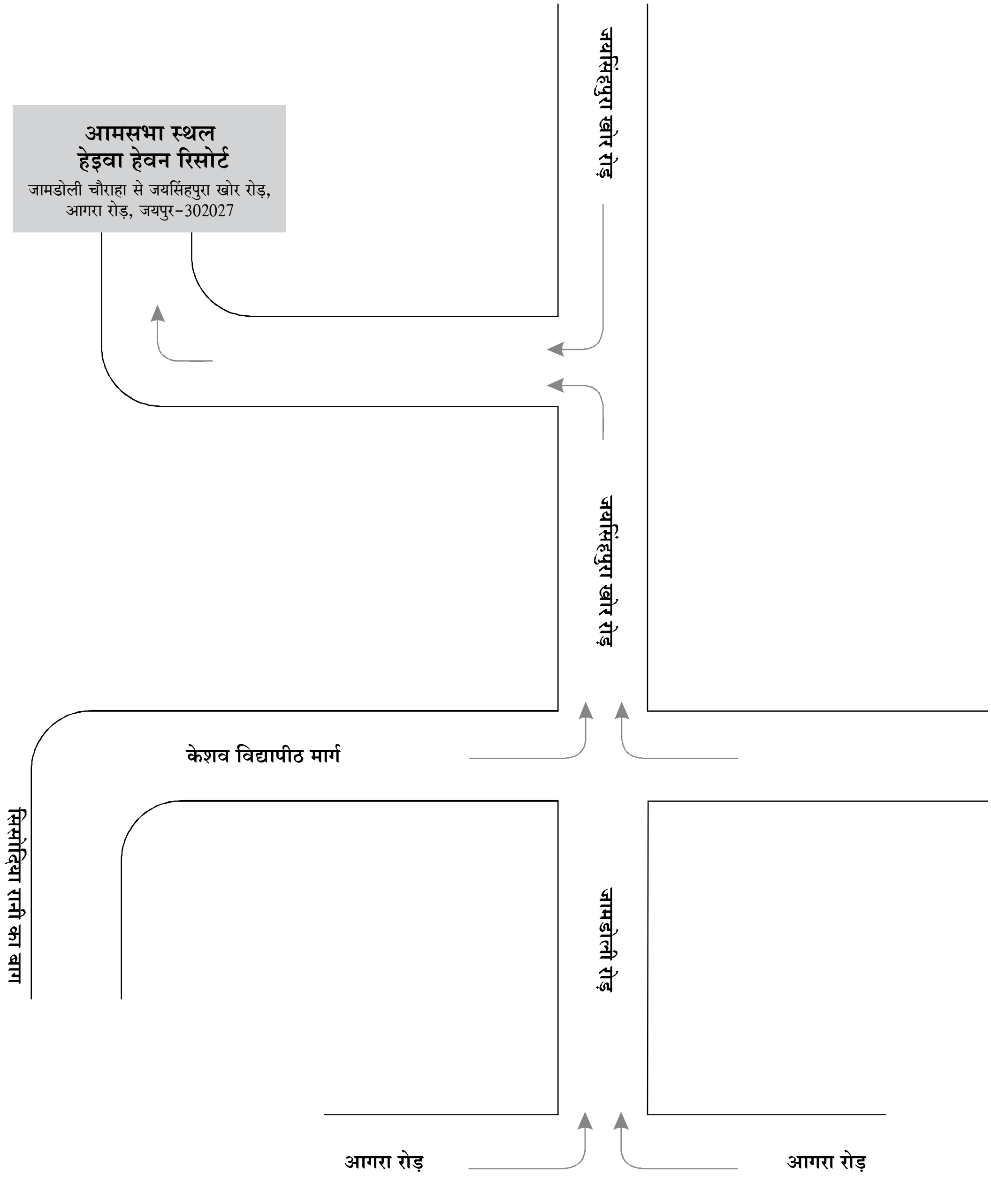

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–4202108
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Linkintime India Pvt. Ltd., New Delhi)